

## अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सार	-	vii
<b>अध्याय 1</b> <b>राज्य सरकार के वित्त</b>		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.2	1
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.3	4
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.4	8
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.5	18
शासकीय व्यय एवं निवेश	1.6	24
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.7	29
ऋण प्रबन्धन	1.8	34
<b>अध्याय 2</b> <b>वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण</b>		
विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण	2.1	39
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	2.2	40
<b>अध्याय 3</b> <b>वित्तीय रिपोर्टिंग एवं लेखाओं पर टिप्पणी</b>		
वैयक्तिक लेजर/वैयक्तिक जमा खाता	3.1	45
उपभोग प्रमाणपत्रों को प्रेषित न किया जाना	3.2	46
लम्बित विस्तृत आकस्मिक देयक	3.3	48
रोकड़ बही का अपूर्ण रहना/अनुरक्षण न किया जाना	3.4	49
धनराशियों का केन्द्रीय सड़क निधि में अन्तरण न किया जाना	3.5	49
राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.6	50
भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	3.7	51
विकास प्राधिकरणों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण	3.8	53

शासकीय धनराशि के गबन या हानि के प्रकरणों की रिपोर्टिंग	3.9	54
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे	3.10	55
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब	3.11	55
घोषित नहीं किये गये लाभांश	3.12	57
मिलान न किये गये इक्विटी/ऋण	3.13	57
लेखाओं में अपारदर्शिता	3.14	58
राज्य के पुनर्गठन पर अवशेषों का विभाजन	3.15	58
अनुवर्ती कार्यवाही	3.16	59
<b>परिशिष्टियाँ</b>		
<b>परिशिष्ट 1.1</b>	राज्य का परिदृश्य	61
<b>परिशिष्ट 1.2</b>	शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप	63
<b>परिशिष्ट 1.3</b>	वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	65
<b>परिशिष्ट 1.4</b>	वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां एवं व्यय	68
<b>परिशिष्ट 1.5</b>	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	70
<b>परिशिष्ट 1.6</b>	(अ) वर्ष 2014-19 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व (ब) वर्ष 2014-19 की अवधि में करेतर राजस्व	73
<b>परिशिष्ट 1.7</b>	31 मार्च 2019 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	74
<b>परिशिष्ट 1.8</b>	आरक्षित निधियों का विवरण	76
<b>परिशिष्ट 2.1</b>	(अ) वर्ष 2018-19 में व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता (ब) विगत वर्षों के व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता	79
<b>परिशिष्ट 2.2</b>	₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग का विवरण	81
<b>परिशिष्ट 2.3</b>	अनवरत बचत वाले अनुदान	83
<b>परिशिष्ट 2.4</b>	प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	84
<b>परिशिष्ट 2.5</b>	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	86
<b>परिशिष्ट 2.6</b>	वर्ष 2018-19 में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण	91
<b>परिशिष्ट 2.7</b>	वास्तविक बचत से अधिक समर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)	98
<b>परिशिष्ट 2.8</b>	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग समर्पित नहीं किया गया	99
<b>परिशिष्ट 2.9</b>	समर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतें	102

परिशिष्ट 3.1	रोकड़ बही अपूर्ण रहना/अनुरक्षण न किया जाना	106
परिशिष्ट 3.2	विभागवार/अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण (जिनमें अन्तिम कार्यवाही मार्च 2019 तक लम्बित थी)	107
परिशिष्ट 3.3	चोरी, दुर्विनियोग, हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	108
परिशिष्ट 3.4	वर्ष 2018-19 में विभागवार निस्तारित/अपलेखित प्रकरणों का विवरण	109
परिशिष्ट 3.5	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण और निवेशों का विवरण	110
परिशिष्ट 3.6	राज्य सरकार द्वारा उन क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश जिनके लेखे दिनांक 30.09.2019 तक बकाये थे	111
परिशिष्ट 3.7	लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से लाभांश	113
परिशिष्ट 4	शब्दावली (अतिरिक्त आँकड़े)	
	गणना का आधार	114
	पदों की व्याख्या	115
	प्रथमाक्षरी	117